प्रीलिम्स फैक्ट्स: 03 अप्रैल, 2019

- व्हाट्सएप टिपलाइन
- अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances)

व्हाट्सएप टिपलाइन

लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हाल में फेसबुक स्वामित्त्व वाले व्हाट्सएप मैसेंजर ने तथ्यों की जाँच के लिये टिपलाइन (WhatsApp) जारी की है।

- अब किसी भी अनिश्चित सूचना या अफवाह (व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई) के स्पष्टीकरण के लिये व्हाट्सएप टिपलाइन, +91-9643-000-888 पर संदेश भेजा जा सकता है।
- व्हाट्सएप इस हेल्पलाइन के लिये भारत स्थित मीडिया स्किलिंग स्टार्टअप प्रोटो (PROTO) के साथ काम कर रहा है।
- किसी व्हाट्सएप यूज़र द्वारा टिपलाइन के साथ संदिग्ध संदेश साझा किये जाने के बाद प्रोटो (PROTO) का सत्यापन केंद्र यूजर को सत्यापन संबंधी जवाब देने की कोशिश करेगा।
- सत्यापन केंद्र पिक्चर, वीडियो लिंक या टेक्स्ट के रूप में प्राप्त अफवाहों की समीक्षा करेगा और इसमें अंग्रेज़ी के अलावा चार अन्य क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, तेलुगू, बंगाली और मलयालम को शामिल करेगा।

अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances)

हाल ही में रिज़र्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances- WMA) की सीमा बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दी है।

- यह प्रावधान रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक) के लिये किया है।
- गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधाएँ देता है, इस अस्थायी ऋण सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम (WMA) कहा जाता है।
- WMA की व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी अंतर को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 1997 में की गई थी।
- WMA पर ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर पर ली जाती है। WMA की सीमाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-03-04-2019